प्रेस को सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 11/2023)

तत्काल प्रकाशन हेतू

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादुविप्रा ने 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का आरंभ ' पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 09.02.2023 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादुविप्रा) ने आज 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का आरंभ' पर परामर्श पत्र जारी किया है।

1. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी-2018) में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि "डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं देश के विकास और कल्याण के महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में तेजी से उभर रही हैं"। एनडीसीपी-2018 में 'प्रस्ताव भारत मिशन' को पूरा करने के लिए एक रणनीति के रूप में 'विभिन्न परतों (जैसे बुनियादी ढांचे, नेटवर्क, सेवाओं और अनुप्रयोगों की परत) को अलग-अलग लाइसेंसिंग के माध्यम से जोड़ने' की भी परिकल्पना की गई है।

2. एक मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) उत्पादकता को बढ़ाकर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली सुविधाएं प्रदान करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। डीसीआई के विकास के संदर्भ में, विभिन्न देशों ने अपने दूरसंचार लाइसेंसिंग ढांचे को संसाधनों के बढ़ते उपयोग (स्पेक्ट्रम सहित), लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने और इंफ्रास्ट्रक्चर /नेटवर्क परत और सेवा/अनुप्रयोग परतों को अलग करके सेवा वितरण खंड को मजबूत करने के लिए जोड़ दिया है। इस ढांचे का लाभ यह है कि यह लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और प्रौद्योगिकियों के अभिसरण पर विचार करते हुए बाजार के विकास और समाज के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।

3. डीसीआई, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और स्मार्ट शहरों के विकास के अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाता है। हाल ही में लॉन्च किया गया 5G भारत को एक ब्रॉडबैंड सुपरहाइवे में बदल देगा और देश की सामाजिक-आर्थिक ढांचे में सुधार करेगा। इस संदर्भ में, यह भी आवश्यक है कि सक्रिय और निष्क्रिय दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अनुकूल लाइसेंसिंग ढांचे के माध्यम से नए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, सामान्य साझा करने योग्य डीसीआई और

नेटवर्क संसाधनों में वृद्धि, लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने, सेवा वितरण खंड को मजबूत करने और उद्योग 4.0, उद्यम खंड और विभिन्न अन्य उपयोगी मामलों के लिए 5G सेवाओं के प्रसार में उत्प्रेरक भी साबित होने की संभावना है।

4. हाल ही में, दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ पत्र दिनांक 11.08.2022 के माध्यम से, भादुविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1) (क) के अंतर्गत, 'टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस (टीआईएल)' लाइसेंस नाम से एक नई श्रेणी के लाइसेंस निर्माण और उस लाइसेंस की शर्तों, लागू लाइसेंस शुल्क आदि के सृजन के संबंध में सिफारिशें मांगी गई है।

5. परामर्श पत्र (सीपी) 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का आरंभ' का उद्देश्य एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत प्रस्तावित डीसीआईपी प्राधिकरण पर हितधारकों के विचार को जानना है। परामर्श पत्र को भादुविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां **09 मार्च, 2023** तक और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, **23 मार्च, 2023** तक आमंत्रित की जाती हैं।

6. टिप्पणियों को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbbpa@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं, जिसकी एक प्रति jtadvbbpa-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण), भादुविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादुविप्रा